रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72

REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 329] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 1982/श्रावण 13, 1904
No. 329] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 1982/SRAVANA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1982

का.आ. 554(अ)/18 एफ ए/आई डी आर ए/82 —केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं का आ 422(अ), तारीख 5 अगस्त, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के निकाय को मैसर्स एजिल इण्डिया मशीन एण्ड टूल्स लिमिटेड कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) 5 अगस्त, 1975 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ,

और केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) ने अपने आदेश सं का आ 292(अ), तारीख 16 मई, 1979 द्वारा सचिव, बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार को जिसे अब सचिव औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) पूर्वोक्त व्यक्तियों के निकाय से उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 5 अगस्त, 1975 से पांच वर्ष की अवधि तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं का आ 603(अ), तारीख 1 अगस्त, 1980 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 4 अगस्त, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं का आ 620(अ)/18 चक/आईडीआरए/81 तारीख 3 अगस्त, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया था ,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति के पास छह मास की अतिरिक्त अवधि तक बना रहना चाहिए, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन उस प्रभाव की अनुज्ञा के लिए निवेदन करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया था और उक्त उच्च न्यायालय ने तारीख 3 अगस्त, 1982 के अपने आदेश द्वारा उक्त अनुज्ञा दे दी है ,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

यह निदेश करती है कि उक्त आदेश छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. न. 2(17)/80-सी. यू. एस.]

आर. के. भार्गव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1982

S.O. 554 (E)/18FA/IDRA/82.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 422(E), dated the 5th August, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government authorised the body of persons specified in that Order to take over the industrial undertaking known as the Messrs Engel India Machine and Tools Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of 5 years from the 5th August, 1975;

And whereas the Central Government in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) in its Order No. S.O. 292(E), dated the 16th May, 1979, authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department of the Government of West Bengal now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the said industrial undertaking from the aforesaid body of persons for the remaining period of five years from the 5th August, 1975;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 608(E), dated the 1st August 1980, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 4th August, 1981;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 620(E)/18FA/IDRA/81, dated the 3rd August, 1981, the duration of the said Order was extended for a further period of one year;

And whereas the Central Government, being of the opinion that it is expedient in the public interest that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months, made an application to the Calcutta High Court praying for permission to that effect, under the proviso to sub-section(2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and that the said High Court has, by its Order dated the 3rd August, 1982 granted the said permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section(2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months.

[F. No. 2 (17)/80-C.U.S.]

R. K. BHARGAVA, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982